International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 12 Issue 8,August 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में मनरेगा की प्रासंगिकता

डॉ0 सुभाष लाल

ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है इसका विश्लेषण संकुचित एवं व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। संकुचित दृष्टि से ग्रामीण विकास का अभिप्राय विविध कार्यक्रमों, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण हस्तकला एवं लघु उद्योग से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। वृहद दृष्टि में ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीणों के जीवन में गुणात्मक उन्नति हेतु सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्राद्योगिक एवं रचनात्मक परिवर्तन करना है। ग्रामीण विकास की रणनीति में राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रामवासियों के निजी अथवा सामूहिक प्रयासों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रयासों के आधार पर भी ग्रामीण जनजीवन को उन्नत करने के प्रयास होते रहे है। इन प्रयासों को ग्रामीण विकास की परिधि में शामिल किया जाता है, किन्तु नियोजित ग्रामीण विकास में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है।[1] ग्रामीण विकास मात्र कृषि व्यवस्था तक सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राद्योगिक एवं रचनात्मक सभी पहलुओं तथा विकास की प्रक्रियायाओं को ग्रामीण विकास की परिधि में शामिल किया जाता है। भारत में ग्रामीण विकास के अनेक प्रयासों के बाद भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। इसमें पर्यावरण क्षरण, शिक्षा का स्तर, निर्धनता एवं उभरती असमानता शामिल हैं। इन मुद्दों को विश्लेषित कर ग्रामीण विकास की भावी रणनीति को अनुकूल बनाया जा सकता है।[2]

भारत में ग्रामीण विकास

स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेज केवल शासन करने में रूचि रखते थे। उन्होंने सामाजिक आर्थिक दिशा में नहीं के बराबर पहल की किन्तु 1899 के अकाल ने ब्रिटिश सरकार का भूख से मरने वालों के प्रति ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार मानवता के आधार पर पहली बार ग्रामीण विकास की दिशा में पहल हई। इस प्रकार ब्रिटिश शासन काल में ग्रामीण विकास की दिशा में नहीं के बराबर प्रयास किये गये।[3] स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार ने ग्रामीण विकास की दिशा में प्रर्याप्त प्रयास किये।

भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, भारत में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जो अंधविश्वास, प्रर्दाप्रथा, निरक्षरता, बाल–विवाह, निर्धनता, ऋणग्रस्तता आदि अनेक समस्याओं से से ग्रस्त है। इन समस्याओं के निराकरण हेतु स्वतन्त्रता के पश्चात् ही व्यापक प्रयास किये गये तथा ग्रामीण विकास के लिये अधिक धन की व्यवस्था की जाती रही है। शासन द्वारा इस सन्दर्भ में जो प्रयास किये गये उनमें सामुदायिक विकास, परिवार नियोजन, सहकारिता, एवं पंचवर्षीय विकास योजनाओं जैसे अनेक विषयों को संबोधित करने वाले अनेक कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इन सभी कार्यक्रमों का ध्येय गांवो का सर्वांगीण विकास कर भारत को एक सशक्त व समृद्ध देश बनाना है।[4] भारतीय ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये ''क्रैश प्रोग्राम'' के नाम से पहली बार कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम को जनता सरकार द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' बनाकर सफल प्रयास किया गया। 1980 से यह कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना का एक

नियमित अंग बन गया। जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी की समस्या को हल करना रखा गया था।[5] इस योजना के बाद ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम– भारत में ग्रामीण बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ किये गये। राष्ट्रीय स्तर पर यह विचार भी किया गया कि शीत काल में रोजगार की गारण्टी दी जानी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 1983 से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।[6] तदुपरान्त जवाहर रोजगार योजना का प्रारम्भ भी किया गया।

जवाहर रोजगार योजना– जवाहर रोजगार योजना का प्रारम्भ वर्ष 1988–89 से भारत सरकार की नीति के अन्तर्गत किया गया। ग्रामीण विकास, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार, पहली बार एक नई रोजगार योजना 'जवाहर रोजगार योजना' देश के 120 पिछड़े जिलों में प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत इन जिलों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को पूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये।[7] स्वतन्त्रता के पश्चात भारत सरकार ने ग्रामीण विकास की दिशा में अनेक प्रयास किये। जिनमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसाार सेवा, खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम, ग्रामीण गृह निर्माण कार्यक्रम, प्रधान मंत्री अटल आवास योजना एवं ग्राम उदय से भारत उदय जैसी विभिन्न योजनाएं प्रमुख हैं, किन्तु इनमें ग्रामीण विकास की दृष्टि से मनेरेगा महत्वपूर्ण अधिनियम है।[8]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005

इस अधिनियम का प्रारम्भिक संक्षिप्त नाम 'राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम' है 2005 है। इस अधिनियम का विस्तार जम्बू कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में है।[9] नरेगा से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2010 को 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम' किया गया जिसका संक्षिप्त नाम मनरेगा है।[10] अधिनियम में 100 दिन के रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया गया है तथा इसके तहत 5 किमी० की सीमा के अन्तर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है। कार्डधारक को 5 किमी० से बाहर रोजगार दिये जाने पर परिवहन व्यय के लिये मजदूरी से अधिक 10 फीसदी भुक्तान किया जाता है।[11] इसके तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि आवेदन की तिथि से 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है तो कार्डधारक को नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। कार्य में ठेकेदारों एवं मशीनों को शामिल करने की मनाही है। सामाजिक लेखा परीक्षा कम से कम छह माह में एक बार आवश्यक है। यह लेखा परीक्षा ग्राम सभा करती है।[12]

फरवरी, 2015 को मनरेगा के दस वर्ष पूरे हो गये। यह कानून नागरिक समाज के साथ लंबी मंत्रणा के बाद बना था। यह अपने आकार, प्रकार तथा प्रभाव के सम्बन्ध में अद्वितीय योजना है। परिणामस्वरूप यह भी कहा जा सकता है कि मनरेगा की ग्रामीण आय वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका है। मनरेगा की यह भी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है कि ग्रामीण मजदूरी में आशातीत वृद्धि हुई है। इसके साथ ही मनरेगा ने महिलाओं के लिये काम के अवसर प्रदान किये हैं एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया है।[13]

मनरेगा से आदिवासियों की गरीबी में 28 फीसदी और दलितों की गरीबी में 38 फीसदी की गिरावट आयी है। मनरेगा के माध्यम से संस्थागत परिवर्तन भी आया है। वर्ष

2008 एवं 2014 के मध्य बैंक और डाकघरों में दस करोड़ खाते खोले गये तथा कुल मजदूरी के 80 फीसदी भाग का खातों के माध्यम से भुक्तान किया गया। यह सही अर्थों में वित्तीय समावेशन है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार और रिसाव में कमी सुनिश्चित हुई है।[14]

निसन्देह मनरेगा ने ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन पर भी रोक लगाई है तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। इसके तहत महिलाओं को भी समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। यह विश्व का एकमात्र अधिनियम है जो काम की गारंटी प्रदान करता है। मनरेगा ने भारत में अपने प्रभाव से अपनी प्रासंगिता को प्रमाणित किया। वर्ष 2020 में जब विश्व करोना संकट का सामना कर रहा था तब मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में इस संकट से उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणामतः स्पष्ट होता है कि यदि मनरेगा में मजदूरी एवं कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि की जाय तो आपदाओं का सामना करने में भी मनरेगा सक्षम है।

सन्दर्भ–

1. शर्मा, ओम प्रकाश, 'ग्रामीण समाज में नियोजित सामाजिक परितर्तन', रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004, पृ० 21.
2. लाल, सुभाष, 'मनरेगा का ग्रामीण विकास पर प्रभाव : चमोली जनपद के सन्दर्भ में एक समीक्षात्मक अध्ययन,'' अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, राजनीति विज्ञान विभाग, हे० न० ब० गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड.
3. सिंह, वामेश्वर, 'भारत में स्थानीय स्वशासन', राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003, पृ० 10.
4. महिपाल, 'पंचायती राजः चुनौतियां एवं सम्भावनाएं', नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2014, पृ० 88.
5. बिष्ट, नारायण सिंह, 'भारत में ग्रामीण विकास', नारायण ट्रस्ट, गोपेश्वर, चमोली, 1990, पृ० 76.
6. श्रीवास्तव, कमलस्वरूप, 'ग्रामीण विकास एवं महिला विकास कार्यक्रम', डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2004, पृ० 110.
7. सांची, सब्य, 'ग्रामीण विकास भारतीय सन्दर्भ', शिवांक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015, पृ० 98.
8. एस्वीब्ज, टी० राव०, के० वी० सिन्हा, बी० राय, एस० एस० 'महात्मा गांधी मनरेगा स्कीम के माध्यम से पर्यावरणीय हित लाभ अति संवेदनशीलता में कमी : एक रिपोर्ट', ग्रामीण विकास मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और जेशे जीआईजेड, 2013, पृ० 39.
9. सिंह, नरेन्द्र पाल, 'सतत् विकास का माध्यम मनरेगा', कुरूक्षेत्र, सितम्बर, 2018, पृ० 4.
10. लाल, सुभाष, मिश्रा, आरती, सेमवाल, एम० एम०, 'मनरेगा की उपलब्धियां, बदलता परिदृश्य, एवं सम्भावनाएं', 2018, पृ० 270.
11. प्रसाद, श्याम सुन्दर, 'मनरेगा के रास्ते स्थानीय आपदा प्रबन्धन,' योजना, जनवरी, 2017, पृ० 40.
12. सिद्धार्थ, खेड़ा, रीतिका, द्रेंज, ज्यां, 'मनरेगा में भ्रष्टाचारः मिथक और वास्तविकता', योजना, अगस्त, 2018, पृ० 15.
13. लाल, सुभाष, मिश्रा, आरती, सेमवाल एम० एम०, पूर्वोक्त, पृ० 271.
14. लियू, यनान, डेनिंगर, क्लाउस, 'कल्याण और गरीबी प्रभावः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम', मुम्बई, 2014, पृ० 137.